Copy of the Letters issued by Uttar Pradesh Government for Reservation in Educational Institutes

1. THE UTTAR PRADESH ADMISSION TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDLED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT, 2006 (**Copy enclosed**)

2. UTTAR PRADESH GOVERNMENT, KARMIK ANUBHAG-2, NO. 1/2019/4/1/2002/KA-2/19 T.C.-II LUCKNOW, DATED: 18 FEBRUARY 2019. (**Copy enclosed**)

क्रम-संख्या—208

रजिस्ट्रेशन नं०—जी०—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

(5)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 सितम्बर, 2006

भाद्रपद 17, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1043/सात-वि-1—01(क) 21-2006

लखनऊ, 8 सितम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2006 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, जिनके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक—संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में प्रवेश में आरक्षण देने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) यह 10 जुलाई, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

लागू होना

2—यह अधिनियम भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं जिनके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर--सहायता प्राप्त हों, में हो रहे सभी प्रवेशों पर लागू होगा।

परिभाषाएं

3—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "किसी प्रवेश के सम्बन्ध में शैक्षणिक वर्ष" का तात्पर्य किसी कलैण्डर वर्ष, जिसके भीतर प्रवेश की "प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, की पहली जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(ख) "सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर किसी ऐसी निजी शैक्षणिक संस्था, से है जो राज्य सरकार से या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता वितरित करने वाली किसी निकाय से आवर्ती सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता अंशतः या पूर्णतः प्राप्त कर रही हो;

(ग) "सामान्य अभ्यर्थी" का तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जो योग्यता के आधार पर किसी अनारक्षित सीट पर चयनित हुआ हो;

(घ) संस्था के प्रधान का तात्पर्य किसी समिति जो संस्था चला रही हो के अध्यक्ष या प्रबन्धक या सचिव से, है और उसके अन्तर्गत संस्था का निदेशक, प्रधानाचार्य और कोई प्रशासनिक अध्यक्ष भी हो;

(ङ) "शैक्षणिक संस्था" का तात्पर्य,—

(एक) सक्षम सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त किसी ऐसे कॉलेज या स्कूल या ऐसी संस्था, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जो शिक्षा प्रदान कर रही हो तथा जो किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, जिसके अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित किसी समविश्वविद्यालय की कोई ऐसी घटक इकाई भी है जो शिक्षा प्रदान कर रही हो;

(दो) सक्षम सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त ऐसे कालेज या स्कूल या ऐसी संस्था, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, से है जो व्यवसायिक पाठ्यक्रम चला रही हो और उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, प्रदान कर रही हों।

(च) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची—एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से हो;

(छ) "निजी संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी शैक्षणिक संस्था से है जो राज्य या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित न हो,

(ज) "व्यवसायिक पाठ्यक्रम" का तात्पर्य सक्षम सांविधिक निकाय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में अधिसूचित पाठ्यक्रम से है जिसमें उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण—पत्र, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, प्रदान किया जाता हो।

(झ) आरक्षित सीट का तात्पर्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी सीट से है;

(ञ) "स्वीकृत अन्तर्ग्रहण" का तात्पर्य और अर्ध राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत सीटों की कुल संख्या से है जो किसी संस्था में प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए हो;

(ट) "राज्य विश्वविद्यालय" का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से हो;

(ठ) "गैर–सहायता प्राप्त संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी निजी शैक्षणिक संस्था से है जो सहायता प्राप्त संस्था न हो।

(ड) "अनारक्षित सीट" का तात्पर्य आरक्षित सीटों से भिन्न सीटों से है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

4–(1) भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, जिसके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर–सहायता प्राप्त हों, में प्रवेश हेतु स्वीकृत अन्तर्ग्रहण के जिसके लिये किसी शैक्षिक वर्ष में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में प्रवेश दिया जाना है, प्रवेश के स्तर पर निम्नलिखित प्रतिशत में, आरक्षण होगा,–

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में	इक्कीस प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जन–जातियों के मामले में	दो प्रतिशत
(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में	सत्ताइस प्रतिशत

(2) किसी शैक्षिक वर्ष के सम्बन्ध में यदि उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी हुई रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जाएगा;

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपर्युक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जाएगा;

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के पश्चात भी बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जाएगा;

(5) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और यदि वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्ति।

5–राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा संस्था के प्रधान या संस्था के किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

शक्ति और सम्बद्धता का वापस लिया जाना

6–(1) संस्था का कोई प्रधान या संस्था का कोई अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 5 के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है इस अधिनियम के प्रयोजनों का, जान–बूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो वह कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा;

(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा;

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(4) जहां राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या किसी प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबंध या तद्धीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों या आदेशों का उल्लंघन किया है तो वह ऐसी संस्था की सम्बद्धता या मान्यता को वापस लेने के लिए समुचित सांविधिक निकाय को सिफारिश कर सकती है।

अभिलेख मांगने की शक्ति

7—यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों या तद्धीन बनाये गये नियमों का सरकार के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को सम्बन्धित संस्था से मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।

प्रवेश समिति

8—राज्य सरकार, आदेश द्वारा प्रवेश समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों के नाम-निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।

जाति प्रमाण-पत्र

9—इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रमाण-पत्र ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा और ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करना

10—यदि इस अधिनियम के उपबन्ध को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसा उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण

11—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

आदेशों इत्यादि का रखा जाना

13—धारा 5 और धारा 9 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

निरसन और अपवाद

14—(1) उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2006

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

संविधान के 93वें संशोधन द्वारा राज्य सरकारों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, जिनके अन्तर्गत निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हों, में प्रवेश के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था कर सकती हैं। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त व्यक्तियों के पक्ष में उक्त शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बनाई जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2006) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

No.1043 /VII-V–1-1(ka)21-2006
Dated Lucknow, September 8, 2006

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shaikshanik Sansthon Me Pravesh (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhare Vergon Ke Liya Arakshan) Adhiniyam. 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2006.

THE UTTAR PRADESH ADMISSION TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDLED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) ACT , 2006

(U.P. Act No. 23 of 2006)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the reservation in admission to educational institutions including private educational institutions,whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constituion of India, in favour of the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizen and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :–

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Admission to Educational Institutions (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 2006. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on July 10, 2006

Applicability

2. This Act shall apply to all admissions taking place in Educational Institutions, including private Educational Institutions, whether Aided or unaided by the State, other than the Mionrity Educational Institutions referred to in clause (1) of the Article 30 of the Constitution of India.

Definitions

3. In this Act, unless the context otherwise requires,

(*a*) "academic year in relation to an admission" means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calender year within which the process of admission is initiated;

(*b*) "aided institution" means a private educational institution, excluding minority institution, receiving recurring grants-in-aid or financial assistance in whole or in part from the State Government or from any body under the control of State Government disbursing grants-in-aid or financial assistance;

(*c*) "general candidate" means a candidate selected on the basis of merit on an unreserved seat;

(*d*) "Head of the institution" means the President or the Manager or the Secretary of a society running the institution and includes the Director, the Principal or any Administrative Head of the institution;

(*e*) "educational institution" means–

(*i*) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting education approved or recognized by a competent Statutory Body and affiliated to a State University, including a Private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or a constituent unit of a deemed to be University defined under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 imparting education.

(*ii*) a college or a school or an institution, by whatever name called, imparting professional courses, approved or recognized by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or a certificate, by whatever name called.

(*f*) "other backward classes or citizens" means the Other Backward Classes or Citizens specified in the Scheduled-I to the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(*g*) "Private Institution" means an educational institution not established or maintained by State Government or any Public Body;

(*h*) "Professional Course" means a course of study notified as a professional course by the Competent Statutory Body leading to the award of a degree, diploma or certificate by whatever name called;

(*i*) "Reserved Seat" means a seat reserved for the Scheculed Castes, Scheduled Tribes or other backward classes of citizens;

(*j*) "Sanctioned Intake" means and inplies the total number of seats sanctioned by an authority notified by the State Government for admitting students in each course of study in an Institution;

(*k*) "State University" means a University established or incorporated by an Act of the State Legislature;

(*l*) "Unaided Institution" means a private Educational Institution, not being an Aided Institution;

(*m*) "Unreserved Seat" means a seat other than reserved seats.

Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes

4. (1) In admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India, there shall be reservation at the stage of admission in the following percentage of sanctioned intake to which admission is to be made in favour of person belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens, in the academic year–

(a)	in the case of Scheduled Castes	twenty one per cent
(b)	in the case of scheduled Tribes	two per cent;
(c)	in the case of other backward classes of citizen	twenty seven per cent;

(2) In respect of any academic year if any vacancy recerved for any category of persons under sub-section (1) remains unfilled, another special admission drive shall be made to fill such vacancy from amongst the person belonging to that category.

(3) If in the special admission drive referred to in sub-section (2) suitable candidates belonging to the Scheduled Tribes are not available to fill the vacancy reserved for them, such vacancy shall be filled by persons belongings to the Scheduled Castes.

(4) Where, due to non-availability of suitable candidates, any of the seats reserved under sub-section (1) remains unfilled even after special admission drive referred to in sub-section (2), or sub-section (3), then such vacancy shall be filled by any other suitable candidate, on the basis of merit.

(5) If a person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) gets selected on the basis of merit as a general candidate, and if he wants to remain as a general candidate, then he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such category under sub-section (1).

Responsibility and powers for compliance of the Act

5. The State Government may, by a notified order, entrust the Head of the Institution or any officer or employee of the Institution with the responsibility of ensuring the compliance of the provision of this Act.

Penalty and withdrawal of affiliation

6. (1) Any Head of the Institution or any officer or employee of the institution entrusted with the responsibility under section 5 wilfully acts in a manner intended to contravene or defeat the purposes of this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this section except with the previous sanction of the State Government or an officer authorized in this behalf by the State Government by an order.

(3) An offence punishable under sub-section (1) shall be tried summarily by a Metroplitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class and the provisions of sub-section (1) of section 262, section 263, section 264 and section 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall *mutatis mutandis* apply.

(4) Where the State Government or any officer or an authority authorised by it is satisfied that any institution has violated any provision of this Act or the rules or the orders made thereunder by the State Government, it may recommend to the appropriate statutory body for the withdrawal of the affiliation fo recognition of such institution.

Power to call for record

7. If it comes to the notice of the State Government that any person belonging to any of the categories mentioned in sub-section (1) of section 4 has been adversely affected on account of non-compliance of the provisions of this Act or the rules made thereunder or the Government orders, it may call for such records from the concerned institution and take such action as it may consider necessary.

Admission Committee

8. The State Government may, by order, provide for nomination of ~~office~~ for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizen in the Admission Committee to such extent and in such manner as may be prescribed.

Caste cercificate

9. For the purpose of reservation provided under this Act, caste certificate shall be issued by such authority or officer as may be notified by the State Government and in such manner and in such form as the State Government may, by order, provide.

Removal of difficulties

10. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an notified order, make Such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Protection of action taken in good faith

11. No suit, prosecution or any other legal proceeding shall lie against the State Government or any person for anything which is in good faith done or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Power to make rules

12. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purpose of this Act.

Laying of Order etc.

13. Every order made under section 5 and section 9 shall be laid, as soon as may be, before both the Houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

Repeal and saving

14. (1) The Uttar Pradesh Admission to educational institutions (Reservation for Schedule Castes Schedule tribes and other backward classes) Ordinance, 2006 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 2006

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government have been empowered by the Constitution Ninety-third Amendment to make special provisions regarding admission to the educational institution including private educational institutions, whether aided or unaided by the State other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India in favour of the persons belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and other backward Classes of citizen. It was, therefore, decided to make a law to provide for the reservation in admission to the said educational institutions in favour of the said persons.

Since the State Legislature was not in session and immediate Lagislature action was necessary to implement the aforesaid decission, the Uttar Pradesh Admission to Educational Institution (Reservation for Schedule Castes, Schedule Tribes and other Backward Classes) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 2 of 2006)was promulgated by the Governor on July 10, 2006.

This Bill is intriduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
R. M. CHAUHAN,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 1114 राजपत्र (हि०)–2006–(1698)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 130 सा०विधा०–2006–(1699)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

क्रम-संख्या–4

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी0–11/लाई0–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, बुधवार, 10 जनवरी, 2007
पौष 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 26/79–वि०–1–1(क) 21/2006
लखनऊ, 10 जनवरी, 2007

अधिसूचना

23/06

शुद्धि-पत्र

विधायी अनुभाग–1 की दिनांक 8 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या 1043/सात–वि–1–01(क)21/2006 द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में साथ–साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश शैक्षिणक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 2006 के हिन्दी पाठ में धारा–11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा पढ़ी जाय :–

नियम बनाने की शक्ति	"12–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।"

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव ।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 3337 राजपत्र–(हिन्दी)–2007–(7033)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 211 सा० विधायी–2007–(7034)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II
लखनऊ, दिनांक : 18 फरवरी, 2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 12.01.2019 के माध्यम से भारत का संविधान में 103वां संशोधन करते हुये सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये व अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थानों (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया गया है।

2. तत्क्रम में समाज कल्याण विभाग के आदेश संख्या-325/26-3-2019, दिनांक-22.01.2019 द्वारा राज्य सरकार की सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिये तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर अनुदानित) में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-17.01.2019 के क्रम में कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या-36039/1/2019-Estt.(Res.), दिनांक-19.01.2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भारत सरकार की सिविल पोस्ट एण्ड सर्विसेज में आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नवत् है :-

"Reference is invited to Ministry of Social Justice and Empowerment O.M.No. F.No. 20013/01/2018-BC-II dated 17.01.2019 on the above mentioned subject, which, inter-alia, reads as under:-

"1. In pursuance of insertion of clauses 15(6) and 16(6) in the constitution vide the Constitution (One Hundred and Third Amendment)Act, 2019 and in order to enable the Economically Weaker Sections (EWSs)who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, to receive the benefits of reservation on a preferential basis in civil posts and services in the Government of India and admission in Educational Institutions, it has been decided by the Government to provide 10% reservation to EWSs in civil posts and services in Government of India and admission in Educational Institutions.

2. Persons who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes and Whose family has gross annual income below Rs. 8.00 lakh are to be identified as EWSs for the benefit of reservation. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of

18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application. Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWSs, irrespective of the family income:

i 5 acres of Agricultural Land and above;

ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above:

iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities:

iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

3. The income and assets of the families as mentioned in para 2 would be required to be certified by an officer not below the rank of Tehsildar in the States/UTs. The officer who issues the certificate would do the same after carefully verifying all relevant documents following due process as prescribed by the respective State/UT.

.....

5- Instructions regarding reservation in employment and admission to educational institutions will be issued by DOPT and Ministry of HRD respectively."

2. In pursuance of the above office Memorandum, it is hereby notified that 10% reservation would be provided for Economically Weaker Sections (EWSs) in Central Government posts and services and would be effective in respect of all Direct Recruitment vacancies to be notified on or after 01-02-2019

3. Detailed Instructions regarding operation of roster and procedure for implementation of EWS reservation will be issued separately. "

4- The Constitution (One Hundred and Third Amendment)Act, 2019 के क्रम में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये की गयी आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु निम्नवत् व्यवस्था/ मानक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाय।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अनुमन्य किये गये 10 प्रतिशत **आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति, पात्र /अर्ह होंगेः-**

(i) जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक आय रू0-8.00 लाख से कम होगी। समस्त स्रोतों से आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आय सम्मिलित होगी और यह आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की होगी। इस उद्देश्य के लिये लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिवार में उसके/उसकी माता-पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका/उसकी, पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे सम्मिलित होंगे। **परन्तु ;**

(ii) **ऐसे व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में पात्र नहीं होंगे :-**

(अ) जिनके परिवार के स्वामित्व अथवा कब्जे में 05 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि हो, **या**

(ब) 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र का आवासीय फ्लैट हो, **या**

(स) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू-खण्ड हो, **या**

(द) अधिसूचित नगर पालिकाओं के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भू-खण्ड हो।

(iii) परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा।

(iv) उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था दिनांक 01.02.2019 या इसके उपरान्त अधिसूचित / विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी।

5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12-4/2019 दिनांक 17.01.2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों जो वर्तमान में लागू आरक्षण व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, के लिए केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए आदेश जारी किया गया है, जो निम्नवत् है :-

In accordance with the provisions of the Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2019. and the reference of Ministry of Social Justice and Empowerment vide OM No. 20013/01/2018-BC-II dated-17th January 2019, enabling provision of reservation for the Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Socially and Educationally Backward Classes, It has been decided to provide reservation in admission to educational institutions subject to a maximum of ten percent of the total seats in each category. This would not apply to the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30 of the Constitution of India.

2. The provision of reservations to the Economically Weaker Sections shall be in accordance with the directions contained in the OM No. 20013/01/2018-BC-II dated-17th January 2019 of the Ministry of Social Justice & Empowerment and shall be subject to the following:

a) The reservations shall be provided to EWSs for admission in Central Educational Institution, (as defined in clause (d) of section (2) of the Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006) from the academic year 2019-20 onwards.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

b) The above reservation would not be applicable to the 8 Institutions of excellence, research institutions, institutions of national & strategic importance as specified in the Schedule to The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006, as amended from time to time, and appended to this OM, and to the minority educational institutions referred to in clause (1) of article 30 of the Constitution.

c) Every Central Educational Institution shall, with the prior approval of the appropriate authority (as defined in clause (c) of section 2 of The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Act, 2006), increase the number of seats over and above its annual permitted strength in each branch of study or faculty so that the number of seats available, excluding those reserved for the persons belonging to the EWSs, is not less than the number of such seats available, in each category, for the academic session immediately preceding the date of the coming into force of this O.M.

d) Where, on a representation by any Central Educational Institution, the appropriate authority is satisfied that for reasons of financial, physical or academic limitations or in order to maintain the standards of education, the annual permitted strength in any branch of study or faculty of such institution cannot be increased for the academic session following the commencement of this Act, it may permit such institution to increase the annual permitted strength over a maximum period of two years begining with the academic session following the commencement of this Act; and then, the extent of reservation for the Economically Weaker Sections shall be limited for that academic session in such manner that the number of seats made available to the Economically Weaker Sections for each academic session shall not reduce the number and the percentage of reservations provided for SC/ST/OBC categories.

e) The scheme for implementing the reservation for the EWS shall be displayed on the website of the institution as soon as possible, but no later than 31st March 2019.

3. The Chairman UGC, Chairman AICTE and Chairperson NCTE and the Bureau Heads of the Depratment of Higher Education in the Ministry of Human Resource Development responsible for management of the Institutions of National Importance are requested to ensure immediate compliance of this OM.

6. संविधान के 103वें संशोधन के क्रम में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भारत सरकार द्वारा की गई उक्त व्यवस्था के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में भी निम्नवत् कार्यवाही की जानी हैः

1) अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गों के लिये वर्तमान में लागू राज्य सरकार की योजना/नीति से आच्छादित नही है, उन्हें अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध कुल सीटो के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया जाय। प्रदेश में उत्कृष्टता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, द सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एक्ट, 2006 के अंतर्गत इन्स्टीट्यूशन्न आफ नेशनल एण्ड स्ट्रेटजिक इम्पॉरटेन्स जिन्हें भारत सरकार के आफिस मेमोरेन्डम दिनांक 17.01.2019 में सम्मिलित किया गया है, उन पर यह आरक्षण व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2) प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों की संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों की संख्या में वृद्धि करेंगें, जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो।

3) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्र-2019-20 से लागू की जाय।

4) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पात्रता का मानक प्रस्तर-4 के उप प्रस्तर(ख) के अनुसार ही होगा।

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II(1), तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) प्रमुख सचिव, श्री महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3) प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
4) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5) प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6) समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8) सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9) सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
10) सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को 200 प्रतियॉ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग2 को उपलब्ध कराने हेतु ।
13) वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
14) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in